न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28 / 2021 – निगरानी

मस्तराम मीणा पिता भूराराम मीणा निवासी सरसीया तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. ममता मीणा पत्नी सुरेश कुमार मीणा निवासी उंचा तहसील जहाजपुर 2. ग्राम पंचायत उंचा पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश गैर निगराकार संख्या 02 प्रकरण रसीद संख्या 838 सन् 2019 दिनांकित 06.07.2019 निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री कैलाश राव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.07.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार का एक आवासीय मकान ग्राम उंचा में स्थित है और उस मकान के निकास दरवाजे के सामने आम रास्ता है। उस आम रास्ते पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर लिया और अतिक्रमण वाली जगहो पर गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर एक विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया जिसका कोई विधिक अधिकार गैर निगराकार संख्या 02 को नही था। गैर निगराकार संख्या 01 के नाम से जो विधि विरूद्ध पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 ने जारी किया जिसकी जांच सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर ने की। गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर जो पट्टा जारी है, उसकी मिसल की प्रमाणित प्रति निगराकार ने प्राप्त की वह मिसल विधि विरूद्ध मिसल है, उस मिसल में गैर निगराकार संख्या 02 ने किसी प्रकार से पंचायत राज अधिनियम की पालना नहीं की है, और निगराकार संख्या 01 के नाम से मिसल तैयार की और गैर निगराकार संख्या 01 ने उक्त मिसल में झूठा शपथपत्र पेश किया है। उन सब तथ्य की जांच रिपोर्ट दिनांकित 01.01.2021 से

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

सहायक विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। उक्त मिसल में ना तो गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायती राज अधिनियम 146 से 149 की पालना की ना ही नियम 127 की पालना की, नियम 157 के तहत पुराने गृहो का विनियमितीकरण किया जाकर ही पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसमें पुराना मकान होना आवश्यक है। जबकि न तो वहा पर गैर निगराकार संख्या 01 का पुराना मकान है, ना ही उक्त भूमि से गैर निगराकार संख्या 01 का कोई सारोकार है। उक्त भूमि राजकीय भूमि है और उक्त भूमि में निगराकार के खरीदसुदा मकान का आवासीय रास्ता है और निगराकार का टेंक बना हुआ है, गैर निगराकार संख्या 02 ने विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा की जांच रिपोर्ट दिनांकित 01.01.2021 में जो जांच बिन्दु संख्या 01 से लगायत 04 से उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य एवं निष्प्रभावी है और विधि विरूद्ध पट्टा है। उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति भी गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा निगराकार को नहीं दी गई है। जबकि निगराकार ने विधिवत शुल्क गैर निगराकार संख्या 02 को प्रस्तुत कर दिया था। उस शुल्क की अनुपालना में जो मिसल गैर निगराकार संख्या 02 ने निगराकार को दी है वह मूल ही उक्त निगरानी के साथ प्रस्तुत होकर निगरानी का भाग है। अतः निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 22.04.2021 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में बावजूद सूचना के विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये। दौराने बहस भी विपक्षीगण उपस्थित नहीं हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि निगराकार का एक आवासीय मकान ग्राम उंचा में स्थित है और उस मकान के निकास दरवाजे के सामने आम रास्ता है। उस आम रास्ते पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर लिया और अतिक्रमण वाली जगहो पर गैर निगराकार संख्या 02 ने गैर निगराकार संख्या 01 के नाम पर एक विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर दिया जिसका कोई विधिक अधिकार गैर निगराकार संख्या 02 को नही था।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

मिसल में ना तो गैर निगराकार संख्या 02 ने पंचायती राज अधिनियम 146 से 149 की पालना की ना ही नियम 127 की पालना की, नियम 157 के तहत पुराने गृहो का विनियमितीकरण किया जाकर ही पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसमें पुराना मकान होना आवश्यक है। जबकि न तो वहा पर गैर निगराकार संख्या 01 का पुराना मकान है, ना ही उक्त भूमि से गैर निगराकार संख्या 01 का कोई सारोकार है। उक्त भूमि राजकीय भूमि है और उक्त भूमि में निगराकार के खरीदसुदा मकान का आवासीय रास्ता है और निगराकार का टेंक बना हुआ है, गैर निगराकार संख्या 02 ने विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा की जांच रिपोर्ट दिनांकित 01.01.2021 में जो जांच बिन्दु संख्या 01 से लगायत 04 से उक्त पट्टा प्रथम दृष्टया शून्य एवं निष्प्रभावी है और विधि विरूद्ध पट्टा है। निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत उंचा पंचायत समिति जहाजपुर तहसील की मिशल आदेश रसीद संख्या 838/19/06.07.2017 से गैर निगराकार संख्या 01 को पटटा जारी किया गया। मिसल आदेशिका परीक्षण उपरांत पाया गया कि मिसल आदेशिका में कार्यवाही विवरण की कोई दिनांक अंकित नही हैं एवं आदेशिका पर किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर भी नहीं हैं। आदेशिका निर्णय में भी कोई दिनांक व हस्ताक्षर नही हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्ण अनदेखी कर उक्त प्रश्नगत पटटा जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 01.01.2021 अनुसार गैर निगराकार संख्या 01 के नाम जारी पटटा संदिग्धता प्रकट करता हैं।

मिसल पत्रावली परीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि प्रश्नगत पटटा विपक्षी श्रीमती ममता मीणा को पुश्तैनी मकान बताकर नियम 157 के तहत पटटा जारी किया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

गया, जबकि नियम 157 में पुराने आवास का पटटा जारी करने का प्रावधान हैं, खाली भुखण्ड का पटटा जारी करने का प्रावधान नहीं हैं। जिससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 01 को प्रश्नगत पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 146 से 149 की कार्यवाही नहीं की जाकर, पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर विधि विरूद्व तरीके से विपक्षी संख्या 01 को पटटा जारी किया गया, जो प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं।

सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर ने भी अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 01.01.2021 में स्पष्ट रूप से अंकन किया हुआ हैं कि प्रश्नगत पटटे को अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियमों के विरूद्व जारी किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 01 को ग्राम पंचायत उंचा पंचायत समिति जहाजपुर तहसील की मिशल आदेश रसीद संख्या 838/19/06.07.2017 से जारी पटटा विधि विरूद्व होने से पटटा खारिज योग्य ठहरता हैं। निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत उंचा पंचायत समिति जहाजपुर तहसील की मिशल आदेश रसीद संख्या 838/19/06.07.2017 से जारी पटटे को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उंचा तहसील जहाजपुर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा